न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 17 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2014 / 00045

वादीया

1 सुरती देवी पुत्री रामकिशन,
जाति–बिश्नोई, निवासी–धमाणा,
हाल–सेवाड़ा, तहसील–रानीवाड़ा,
जिला–जालोर (राज.)

प्रतिवादीगण

1 कोजाराम पुत्र रामकिन
2 गोकलाराम पुत्र रामकिन
फौत के वारिशान्
A–पूनमाराम पुत्र गोकलाराम
B–भूरीदेवी पुत्री गोकलाराम
C–झमकूदेवी पुत्री गोकलाराम
3 हंजारी पुत्र रामकिन फौत के वारिसान्
1–सैणीदेवी बैवा हंजारी
2–भाखराराम पुत्र हंजारी
3–मांगीलाल पुत्र हंजारी
4–विरदाराम पुत्र हंजारी
जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–
धमाणा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
4 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ
बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा–सांचौर
5 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवाडा खातेदारी एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 18.12.2014

उपस्थिति :–

1. वादीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 (A), 3 (1, 2 3, 4) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह गोहिल उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 2 (B, C) 4 व 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.12.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है वादीया एवं प्रतिवादीगण 1, 2 (A,B, C), 3 (1, 2 3, 4) सभी एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार रहे

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

है वादीया व प्रतिवादीगण सभी रामकिन पुत्र आसू, कौम बिश्नोई, निवासी धमाणा के जायज वारिशान् व उतराधिकारीगण है। वादीया व प्रतिवादीगण सभी रामकिन पुत्र आसू के उतराधिकारीगण एवं हिन्दू जाति से शासित है रामकिन की आराजी में वादीया एवं प्रतिवादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा पैतृक हकों का बनता है। ऐसी सूरत में वादीया अपने 1/4 हिस्से का वाद श्रीमान के समक्ष पेश करती है। सरहद मौजा धमाणा पटवार क्षैत्र धमाणा तहसील सांचौर में खेत खसरा नंबर पुराने 2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 539 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1743 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 518 रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 4 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 19 रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 81 बीघा 17 बिस्वा के आये हुए है जिसके नवीन पैमाईश अधिकारियों द्वारा नवीन खसरा नंबर 3 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1153 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1154 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1156 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1157 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1158 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1159 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1160 रकबा 0.24, खसरा नंबर 1162 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1163 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1165 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1166 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1167 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1171 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1172 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1174 रकबा 0.88 हैक्टेयर कुल रकबा 13.25 हैक्टेयर नवसृजित किये गये है। उपरोक्त आराजी को आगे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी मुलतः वादीया के पिता रामकीन के नाम की थी। रामकिन के तीन पुत्र व मैं एक पुत्री इस प्रकार चार पुत्र–पुत्री होने से वादग्रसत आराजी में 1/4 हिस्सा मुझ वादीया का एवं 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का पैतृक हकों का जन्मसिद्व अधिकार है लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलावट कर वादीया को अपने पैतृक हकों से वंचित करने की नियत से केवल मात्र उन्हीं (प्रतिवादी) के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया तथा वादीया का नाम इन्द्राज नहीं करवाया जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 आर.टी.एक्ट की धारा 40 व नवीन संशोधित उतराधिकारीगण अधिनियम 2005 के अनुसार वादीया मृत श्री रामकीन की प्रथम वारिस है ऐसी सूरत में वादीया का 1/4 हिस्सा रामकीन की संपति में जन्म से ही अधिकार है। ऐसी सूरत में वादीया 1/4 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में इन्द्राज करवाने की अधिकारिणी होने से यह वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा पैतृक हकों का होने से प्रथम दृष्टि में केस वादीया के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीया के पक्ष में है लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को खुद बुर्द कर आगे बैचान या हस्तान्तरित कर वादीया को बैदखल करने पर आमादा है और यदि प्रतिवादीगण ऐसा कर देंगे तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका वादीया उचित मुआवजा भी नहीं पा सकेगी। ऐसी सुरत में

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायहित में आवश्यक है ऐसी सूरत में वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। विनायवाद अभी दिनांक 03.12.2014 को उस वक्त पैदा हुआ जब वादीया अपने खेतों पर कृषि लोन लेने हेतु के.सी.सी की फाईल तैयार करवाने के लिये जमाबंदी की नकल प्राप्त की जो जानकारी में आया कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी उनके नाम करवा ली तथा वादीया को अपने पैतृक हकों से वंचित कर दिया तब वादीया व उसका पुत्र हरिशचन्द्र प्रतिवादीगण के पास गये तथा इस बाबत् प्रतिवादीगण को बताया तो प्रतिवादीगण ने कहा की आपका कोई हक नहीं है बयान नहीं देंगे तब बमुकाम धमाणा व सांचौर पैदा हुआ मुखास्मात तारीख दावा से पेश है। अतः सहरद मौजा धमाणा के उपरोक्त खेत खसरा संख्या जुमले रकबा 13.25 हैक्टेयर में वादीया 1/4 हिस्सा के खातेदारी हकों की उद्घोषणा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज फरमावें एवं उक्त आराजी बाबत् बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें तथा उपरोक्तानुसार बंटवाड़े की डिक्री जारी फरमावें।

वादीया का उपरोक्त वाद दिनांक 18.12.2014 को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 कोजाराम ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीया हमारी कोई संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं है। यदि वादीया संयुक्त परिवार की सदस्या होती तो ग्राम धमाणा में हमारे परिवार के साथ उसका राशन कार्ड होता, परिचय पत्र होता तथा ग्राम में मतदाता सूची में हमारे परिवार के साथ नाम होता व अन्य ग्रामीण सर्वे में नाम होता तथा उसका हाउस नंबर होता व किसी तरह का दस्तावेज हमारे परिवार के साथ होता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमारे परिवार की सदस्या नहीं होना प्रमाणित है तथा वादीया रामकिशन पुत्र आसु की उतराधिकारीणी नहीं है तथा न कभी रही है। यदि होती तो रामकिशन के फौत होने पर सन् 1997 में उनके स्थान पर वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता पर ऐसा नहीं हुआ तथा उसके बाद समय के भीतर नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही करती लेकिन नहीं की व अभी हमारे व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य रंजिश के चलते अन्य प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 (1, 2, 3, 4) ने वादीया को कथित ढंग से रामकिशन की उतराधिकारीणी नहीं होते हुए उसे तैयार कर दुरभिसंधी कर कि उसके नाम खातेदारी होने पर अन्य के नाम करवाने की शर्त के साथ वादीया को हमारी जमीन हड़प करने के लिए अन्य प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व उसके पुत्रों ने तैयार किया है। वादीया का वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं है, न कभी रहा है एवं न ही कानूनीयां हक बनता है। वादीया ने गलत वाद पेश किया है। वादीया रामकिशन की उतराधिकारी नहीं है न ही कोई हक पाने की अधिकारीणी है। वादीया ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 आर.टी.एक्ट व धारा 40 का जिक्र करते हुए वाद पेश किया है उसके आधार पर उतराधिकार की मांग की परन्तु वादीया ने यह साफ भूल कर दी कि उतराधिकार अधिनियम 2005 में लागु हुआ है जबकि हमें खातेदारी सन् 1997–1998 में जरिये उतराधिकार प्राप्त हो गई। जिस पर यह अधिनियम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर

पूर्वगामी प्रभावी नही होता तथा वाद में दर्शित खसरा नंबर 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर भूमि को विवादित भूमि बताया है जबकि यह भूमि भगवानाराम व मोहनलाल के नाम की क्रयसुदा है जिसके संबंध में उतराधिकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा भगवानाराम व मोहनलाल वाद में पक्षकार ही नहीं है। वाद गलत पेश किया है तथा वाद की इबारत से भी वाद प्रथम दृष्ट्या गलत पेश होना प्रमाणित है। वादीया को खातेदारी के संबंध में जानकारी तक नहीं है सुने सुनाये कथन व अन्य प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के उतराधिकारियों के कहे अनुसार वाद पेश कर दिया है जो रंजिशवश, बदनियतीपूर्वक गलत पेश किया है। वादीया ग्राम सेवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा में धुड़ा पुत्र रामचन्द्र की चल व अचल संपति में हक सन् 1993 में प्राप्त कर चुकी है सो दोहरा उतराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। उतराधिकार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, उससे भी वादीया किसी तरह से उतराधिकार पाने की अधिकारिणी नहीं है न ही वादीया उतराधिकारिणी है। यह भूमि सन् 1997 से हमारे नाम की जो ग्राम पंचायत के उतराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। उस उतराधिकार प्रमाण पत्र को आज दिन तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में सीधा वाद प्रथम दृष्ट्या अपोषणीय है तथा उसके बाद हुआ नामान्तरकरण को उतराधिकार के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत हुआ उसे भी आज दिन तक 21–22 वर्षों में कभी चुनौती म्याद के भीतर नहीं दी। उसके बाद आपसी बंटवाड़ा हुआ तब भी कोई आपति नहीं की, व उसके बाद कई बार लोन लिया तब भी कोई आपति नहीं की व हमारे हिस्से में हमारी ढ़ाणी, रहवास, कुंआ अलग से खुदा है, विधुत कनेक्शन लिया हुआ है फिर भी कोई आपति नहीं की। वादीया उतराधिकारीणी होती तो अवश्य आपति करती, पर ऐसा नहीं किया यानि वादीया उतराधिकारीणी नहीं है। यह प्रथम दृष्ट्या हमारे पक्ष में प्रमाणित है व सुविधा का संतुलन सन् 1997 से हमारे पक्ष में है। हम खातेदार है। खातेदारों को वादीया बिना किसी अधिकारिता के वाद पेश कर तंग परेशान कर रही है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 2005 को समझे बगैर उसका दुरूपयोग कर उसके आधार पर यह वाद पेश किया है जो गलत है। द्वितीय सर्वे के दौरान भूमि पैमाईश हुई, पैमाईश के दौरान इन्हीं के नाम कच्चा पट्टा जारी किया गया, उसके बाद आपति आमंत्रित की व हमारा कब्जा व खातेदारी होने से पट्टा भगवानाराम व मोहनलाल के नाम जारी हुआ जो वाद में पक्षकार नहीं है जबकि खसरा नंबरान वाद में दर्शाए गए है जिसमें खसरा संख्या 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर की खातेदारी भगवानाराम, मोहनलाल पिसरान कोजारामजी के नाम दर्ज है जबकि इस आराजी को भी वाद में शामिल किया गया है जबकि इस आराजी के खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। वादीया ने यह वाद उतराधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर उतराधिकार की मांग की है जबकि हमारे नाम खातेदारी सन् 1997–1998 में दर्ज हो गई थी जिस पर उतराधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव पूर्वगामी लागू नहीं होता है। जब तक ऐसा अधिनियम में अंकित नहीं किया गया हो इसलिए हमारे नाम दर्ज हुई खातेदारी जो सन् 1997–1998 में दर्ज हुई उसके संबंध में सन् 2005 का उतराधिकार लागू नहीं होता न ही हमारे खिलाफ कोई

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

बिनायवाद पैदा होता है तथा न ही वादीया ने बिनायवाद पैदा होने की समय व परिस्थिति अंकित की है ऐसी स्थिति में स्पष्ट बिनायवाद के अभाव में दावा काबिल खारिज है तथा दावा 22 वर्ष बाद पेश किया है जो म्याद बाहर है। उतराधिकार तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को इसलिए वादीया पहले सिविल न्यायालय से उतराधिकार तय करवाए, उसके बाद ही उसके आधार पर आगे हक की मांग की जा सकती है। वादीया ने बिना उतराधिकार तय करवाए हक के लिए वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का वाद सारहीन, आधारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमावें। प्रतिवादी संख्या 2 (ए), 3 (1, 2, 3, 4) द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के सभी अवतरण सही होने से स्वीकार है तथा वादग्रस्त आराजी में वादीया के पक्ष में 1/4 हिस्से की डिक्री जारी की जावें तो हमें कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 (बी, सी), 4 व 5 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:– हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया मौजा धमाणा के खेत खसरा संख्या 3 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1154 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1156 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1157 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1158 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1159 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1160 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1162 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1163 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1165 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1166 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1167 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1168 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1169 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1171 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1172 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1174 रकबा 0.88 हैक्टेयर कुल रकबा 13.25 हैक्टेयर वादीया की पैतृक संपति होने से वादीया रामकीन की पुत्री होने से वादीया 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिक्री पाने की हकदार है। (जिम्मे वादीया)
2. आया वादीया वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा पैतृक हकों का होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन वादीया के पक्ष में है परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर आगे बेचान कर वादीया को बेदखल करने पर आमादा है ऐसी सुरत में वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार है। (जिम्मे वादीया)
3. आया वादीया वादग्रस्त आराजी में बंटवाड़ा की डिक्री पाने की हकदार है। (जिम्मे वादीया)
4. आया वादग्रस्त आराजी से वादीया का कोई सरोकार नहीं है न ही कोई रहा है तथा न ही वादीया इस आराजी की उतराधिकारी रही है वादीया ने उतराधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर हक की मांग की है जबकि यह भूमि रामकिशनजी से उनके पुत्रों ने सन् 1997–1998 में न्यायगत हो गयी थी उसके बाद 22 साल के लंबे समय के बाद वाद पेश किया है। वादीया कभी उतराधिकारीणी नहीं रही है तथा न ही कोई हक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

बनता है इसलिए वादीया 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिक्री पाने की अधिकारी नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

5. आया वादीया का इस आराजी से कोई सरोकार नहीं है न ही कभी रहा है तथा न ही बनता है। उतराधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव उसके पश्चातवर्ती मामलों में है न कि पूर्वगामी है इसलिए प्रतिवादी को उतराधिकार में अपनी संपति सन् 1997 में मिली थी, उस पर उतराधिकार अधिनियम 2005 लागु नहीं होता है इसलिए वादीया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारी नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

6. आया उतराधिकार तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादीया कोई अन्य अनुतोष पाने की हकदार नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

7. आया वाद स्पष्ट विनायवाद के अभाव में दावा काबिल खारिज है तथा दावा 22 वर्ष बाद पेश किया है जो म्याद बाहर है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

प्रकरण में वादीया की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 सुरती देवी, पीडब्ल्यू–2 भाखराराम, पीडब्ल्यू–3 पूनमाराम, पीडब्ल्यू–4 विरधाराम, पीडब्ल्यू–5 किशनाराम, पीडब्ल्यू–6 हरिशचन्द्र के बयान लेखबद्व किये गये तथा वादीया सुरती देवी की ओर से ईएक्स पी–1 से ईएक्स पी–8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये तथा पीडब्ल्यू–6 हरिशचन्द्र की ओर से ईएक्सपी–9 से ईएक्सपी–17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीडब्ल्यू–1 भूराराम, डीडब्ल्यू–2 खेराजराम, डीडब्ल्यू–3 कोजाराम के बयान लेखबद्व किये गये तथा प्रतिवादी कोजाराम की ओर से ईएक्सडी–1 से ईएक्सडी–6 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। वादीया के विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धमाणा के खेत खसरा संख्या 3 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174 जुमले रकबा 10.80 हैक्टेयर भूमि वादीया की पैतृक संपति होने से तथा वादीया रामकिन की पुत्री होने से वादीया उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार होने से वादीया के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 कोजाराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपने जवाबदावे के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का कोई सरोकार नहीं है, न ही वादीया वादग्रस्त आराजी की उतराधिकारी रही है। वादीया ने उतराधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर हक की मांग की है, जबकि वादग्रस्त आराजी रामकिशन से उनके पुत्रों में सन् 1997–1998 में न्यायगत हो गई थी उसके बाद 22 साल के लंबे अंतराल के बाद वाद पेश किया है जो म्याद बाहर है तथा उतराधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव उसके पश्चातवर्ती मामलों में है न कि पूर्वगामी है इसलिए प्रतिवादी को उतराधिकार में अपनी संपति सन् 1997 में मिली थी, उस पर उतराधिकार अधिनियम 2005 लागु नहीं होता है तथा उतराधिकार तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है ऐसी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

स्थिति मे वादीया किसी भी प्रकार की अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं होने से वादीया का वाद खारिज फरमावें। प्रतिवादी संख्या 2 (A), 3 (1, 2 3, 4) के विद्वान अधिवक्ता ने वादीया के पक्ष में वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का व साक्ष्यों का गहनता से भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया तथा तनकीवार निर्णयन निम्न प्रकार से है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर है। वादीया ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(1) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते वाद में से खसरा संख्या 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर तक का मौजूदा वाद विड्रो करवाकर नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करवाने बाबत् पेश किया था जो स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर तक की इस्तदुआ विड्रो कर दी गई है शेष खसरा संख्या 3 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174 जुमले रकबा 10.80 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्से की घोषणा बाबत् वादीया ने वाद पेश किया है जिसके समर्थन में दस्तावेजात् पेश किये जो ईएक्सपी–4 व ईएक्सपी–5 आधार वर्ष जमाबंदी दिनांक 01.09.1993 लगायत 31.08.2013 है जिसके अनुसार ग्राम धमाणा के खसरा संख्या 3 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174 जुमले रकबा 10.80 हैक्टेयर भूमि रामकिन वल्द आसू कौम बिश्नोई सा.. देहखातेदार दर्ज है। ईएक्सपी–2 जमाबंदी संवत् 2028–2031 के अनुसार रामकिन वल्द आसू, कौम बिश्नोई, सा.देहखातेदार दर्ज है। ईएक्सपी–1 पुराने खसरा नंबर से नवीन खसरा नंबर सृजित हुए बाबत् मिलान क्षैत्रफल है। ईएक्सपी–7 जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 अनुसार वादग्रस्त आराजी में सेणी बैवा हंजारी, मांगीलाल, विरधाराम पिसरान् हंजारीराम, गोकलाराम, कोजाराम पिसरान् रामकिन, कौम बिश्नोई, सा. देहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीया का नाम दर्ज नहीं है। वादीया ने वादपत्र में वंशावली बनाकर पेश की है जिसके अनुसार रामकिन के तीन पुत्र हंजारी, गोकलाराम, कोजाराम व एक पुत्री वादीया होना बताया है तथा हंजारी फौत होने पर सेणीदेवी, भाखराराम, मांगीलाल, विरधाराम है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 गोकलाराम जो रामकिन का पुत्र होना बताया है जो फौत होने पर उनके कायम मुकाम व वारिशान् पूनमाराम, भूरीदेवी, झमकूदेवी को पक्षकार बनाया है तथा पूनमाराम ने सशपथ ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीया सुरतीदेवी रामकिन की पुत्री है तथा वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है। भूरीदेवी व झमकूदेवी ने किसी भी प्रकार का वाद का खण्डन नहीं किया है क्योंकि इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 3 (1 लगायत 4) जो हंजारी की पत्नी व पुत्रगण है जो रामकिन की बहु व पोते होना बताया है जिन्होंने भी सशपथ ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीया सुरतीदेवी रामकिन की पुत्री है तथा वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(कारदरी) सांचौर

कोजाराम ने उनके द्वारा पेश ईकबालिया जवाब का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है इसी प्रकार ईएक्सपी–9 बही भाट जिसको बहीभाट लिखने वालों से हिन्दी में अनुवाद करवायी गई जिसका अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि रामकिन के तीन पुत्रगण हंजारी, गोकला, कोजाराम है तथा एक पुत्री सुरती बाई है तथा उक्त बहीभाट का भी प्रतिवादी संख्या 1 कोजाराम ने किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया है तथा पीडब्ल्यू 1 सुरतीदेवी, पीडब्ल्यू–2 भाखराराम, पीडब्ल्यू–3 पूनमाराम, पीडब्ल्यू–4 विरधाराम जो तीनों रामकिन के पौत्र है, पीडब्ल्यू–5 किशनाराम स्वतंत्र गवाह व पीडब्ल्यू–6 हरिशचन्द्र जो वादीया सुरतीदेवी का पुत्र है, ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक ही स्वर में बयान दिये है कि वादीया सुरतीदेवी रामकिन की पुत्री है तथा वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/4 हिस्सा बनता है। इस प्रकार ईएक्सपी–4 व 5 आधार वर्ष जमाबंदी दिनांक 01.09.1993 से 31.08.2013 व ईएक्सपी–2 जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीया के पिता रामकिन वल्द आसू, जाति–बिश्नोई, सा.देहखातेदार की है तथा उपरोक्तानुसार रामकिन के तीन पुत्र हंजारी, गोकलाराम व कोजाराम तथा एक पुत्री सुरतीदेवी होने से वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होने से वादीया का 1/4 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है, परन्तु वादीया ने खसरा संख्या 298 रकबा 2.45 हैक्टेयर भूमि में इस्तदुआ विड्रो करने से ग्राम धमाणा के खेत खसरा संख्या 3, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174 जुमले रकबा 10.80 हैक्टेयर में वादीया का 1/4 हिस्सा होना वादीया ने अपने साक्ष्यों व दस्तावेजों से बखूबी साबित करने से तनकी संख्या 01 वादीया अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से सफल रहने से तनकी संख्या 01 वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर है परन्तु अधिवक्ता वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुतोष नहीं चाहने पर अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विड्रो किया गया।

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा वादीया पर है। तनकी संख्या 1 अनुसार ग्राम धमाणा के खेत खसरा संख्या 3 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174 जुमले रकबा 10.80 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/4 हिस्सा होना वादीया ने बखूबी साबित करने से वादीया उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा के जरिये अलग तरमीम करवाने की हकदार होने से तनकी संख्या 03 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 व 05 एक ही प्रकृति की होने से उक्त दोनों तनकी का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकीयों को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 पर है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादीया ने उतराधिकार अधिनियम 2005 के

सहायक कलक्टर एवं पदेन कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

आधार पर हक की मांग की हो तथा उतराधिकार अधिनियम 2005 से पूर्व वादीया को हक प्राप्त नहीं होता हो प्रतिवादी संख्या 1 ने ईएक्सडी–4 उतराधिकार प्रमाण–पत्र पेश किया है जिसके अनुसार रामकिन के तीन पुत्र क्रमशः हंजारीराम, गोकलाराम, कोजाराम पिसरान रामकिशनजी है। उक्त उतराधिकार प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत धमाणा द्वारा जारी किया हुआ है जबकि किसी भी ग्राम पंचायत को उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त उतराधिकार प्रमाण के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है तथा तनकी संख्या 01 वादीया के पक्ष में निर्णित होने से तनकी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहने से तनकी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 :– उतराधिकार तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादीया कोई अन्य अनुतोष पाने की हकदार नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है, परन्तु प्रतिवादी ने उक्त तनकी के समर्थन में ऐसा एक भी दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादीया ने उतराधिकारी तय करने बाबत् वाद पेश किया है तथा उसका क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है जबकि वादीया ने उक्त वाद पुश्तैनी संपति का होने से खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो तनकी संख्या 1 को वादीया ने अपने दस्तावेजी व साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करवा चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित नहीं करवाने से तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 07 :– उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। प्रतिवादीगण ने ऐसा एक भी दस्तावेज व साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादीया का नाम उक्त वादग्रस्त आराजी में नहीं होने से तथा वादीया को उसकी जानकारी होने के 22 वर्ष बाद उक्त वाद पेश किया है जबकि वादीया ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट किया है कि वादीया का नाम वादग्रस्त आराजी में नहीं होने की जानकारी दिनांक 03.12.2014 को होने से वादीया ने न्यायालय में दिनांक 15.12.2014 को खातेदारी हक बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है जो उक्त वाद स्पष्टतयाः म्याद के भीतर होने से तनकी संख्या 7 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त विश्लेषण व विवेचन से वादीया की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धमाणा के खेत खसरा संख्या खसरा नंबर 3 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1153 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1154 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1156 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1157 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1158 रकबा 0.06

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फर्स्ट क्लास) सांचौर

हैक्टेयर, खसरा नंबर 1159 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1160 रकबा 0.24, खसरा नंबर 1162 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1163 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1165 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1166 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1167 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1171 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1172 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1174 रकबा 0.88 हैक्टेयर कुल रकबा 10.80 हैक्टेयर की आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीया सुरतीदेवी पुत्री रामकिन, जाति–बिश्नोई, साकिन–धमाणा, हाल–सेवाड़ा, तहसील–रानीवाड़ा के नाम घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीया का वाद राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। इस आशय की पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **01.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर